

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 4729 दिनांक- 04.06.2007, ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-894/जि0ग्रा0 दिनांक- 03.05.2016 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0-5938 दिनांक 14.07.2016 के आलोक में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप संविदा आधारित ग्राम रोजगार सेवक के पद पर निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है-

पद - ग्राम रोजगार सेवक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पता	आरक्षण कोटि जिसके विरुद्ध चयनित हुए हैं	पदस्थापित प्रखण्ड
1	2	3	4	5
1	Amar Kumar Kar / Subhasis Kar	Vill.Dumaria Post-Kaimmi Bahragoda	General	Patamda
2	Kisan Nair/ Sukumar Nair	Vill- Kellabagan, Badia, P.O- Badia, P.S- Mousabani, Dist- E.Singhbhum 832104	General	Musabani
3	Rakhal Chandra Gorain / Nogendra Nath Gorain	Vill- Bhula, P.O- Lawjora, P.S- Boram, Dist- E.Singhbhum	General	Boram
4	Dibyendu Mandal / Nirmal Kumar Mandal	Vill & P.O- Gandamata, P.S- Barasole, Dist- E.Singhbhum, 832301	General	Patamda
5	Sanny Murmu / Sudam Murmu	Vill-Somaydih, P.O- Kendadih, P.S- Jadugora, Dist- East singhbhum 832303	S.T	Musabani
6	Luba Soren/ Saheb Ram Soren	Vill.+PO-Badamara PS- Chakulia E.Singhbhum 832301	S.T	Potka
7	Goutam Kumar Bhakat/ Phoni Bhushan Bhakat	Vill & P.O- Kalikapur, P.S- Potka, Dist- E.singhbhum 832102	BC1	Potka
8	Durga Rani Yadav/ Tarni Kar Yadav	Vill- Putuliashole, P.O- Katushole, P.S- Baharagora, Dist- E.Singhbhum 832301	BC2	Patamda

BR
13.1.17

सभी नियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान से पूर्व अपना सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी एक अभिप्रमाणित फोटोकॉपी का सत्यापन मनरेगा शाखा से कराते हुए योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

उपयुक्त कर्मों पर निम्नलिखित शर्तें बाध्यकारी होंगी :

1. ये नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा राशि अनुमान्य होगा।
3. प्रारंभिक चरण में ये नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है, जो नियुक्त अभ्यर्थियों के योगदान की तिथि से प्रभावी होगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिये संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।
4. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को संविदा अवधि में भी कार्यमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यदि कोई कार्यरत कर्मों ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मों की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मों की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर ऐसे कार्यरत कर्मों की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।


7. नियुक्त कर्मों के कार्यों की वार्षिक समीक्षा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं आवश्यकता पाये जाने पर पदस्थापना स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर रखे गये कर्मों की सेवा कभी भी बिना कारण बताये हुए समाप्त की जा सकती है।
9. नियुक्त कर्मों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेशों, निर्देशों आदि का पालन बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्त कर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण राज्य सरकार या नियुक्त/ नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जायेगा। सभी चयनित कर्मियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


13/1/17

80/-
उप विकास आयुक्त
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक- 129/जि.ग्रा. दिनांक- 13.01.17

प्रतिलिपि :- चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्रीको सूचनार्थ एवं आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर अपने पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।


उप विकास आयुक्त,
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक- 141


जि.ग्रा. दिनांक - 16.01.17

प्रतिलिपि-

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आवंटित प्रखण्ड में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मंती मांति जाचोपरांत उनका योगदान स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृत संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि-

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस आदेश को जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.in पर अविलम्ब अपलोड करें।


निदेशक
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम
-सह-मन्वेगा जोडल पदाधिकारी
डी० कार० डी० ए०, पूर्वी सिंहभूम।
16/01/17
16/1/17

